न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम

SC/ST Case No. - 118/2018

28/01/23	काराधीन अभियुक्त रामचन्द्र साह, धमेन्द्र साह, अबरेन्द्र साह, महेन्द्र सा की ओर से दिनांक 25/01/2023 को दाखिल किये गये जमानत आवेदन, जिसकी प्रति विद्वान सहायक लोक अभियोजक को दी जा चुकी है, को आज चालित किया गया। बचाव–पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त जमानत आवेदन चालित करते हुए यह निवेदित किया गया कि प्रार्थी आवेदकगण दिनांक 25/01/23 को स्वतः ही न्यायालय में आत्मसमर्पण किये है और तब से काराधीन है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि वाद में समुचित पैरवी नहीं किये जाने के कारण दिनांक 30/11/2021 को उनका बंध–पत्र खंडित कर दिया गया था। उभय पक्ष के बीच मेल सुलह हो गया है तथा राजीनामा आवेदन और अनुमति आवेदन दाखिल है। प्रार्थीगण की ओर से यह भी निवेदित किया गया कि वो इकरार करते हैं कि वे इस वाद में सदेह उपस्थित रहकर पैरवी करते रहेंगे, अतः उन्हें जमानत पर रिहा किया जाय। विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा जमानत का विरोध किया गया। उभय–पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थीगण की ओर से कोई पैरवी नहीं किये जाने के कारण उनका बंध–पत्र दिनांक 30/11/21 को खंडित कर दिया गया था तथा उनके विरूद्ध अजमानतीय अधिपत्र निर्गत करने का आदेश दिया गया था। अभिलेख अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी आवेदकगण दिनांक 25/01/23 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। ऐसी परिस्थिति में आवेदकगण द्वारा जमानत के दुरूपयोग की अवधि तथा उनके द्वारा कारा में बिताई गई अवधि को ध्यान में रखते हुए आवेदक अभियुक्तगण को मो0 10,000/– रूपया का जमानत बंध पत्र तथा समान राशि के दो–दो प्रतिभुओं के साथ दाखिल करने पर जमानत प्रदान की जाती है। लेखापित अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम	